मिसल मुकदमा 53,188 राज. काश्त अधिनियम नम्बर 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
12-12-18	वकील वादीगण उपस्थित। वाद पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी प्रतिवादी संख्या 21 व 22 के अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वीकार कर रेकार्ड पर लिया जाता है और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एवं सम्मन जारी होकर दिनांक 14-1-19 को पेश हो। (सुरेश चौधरी) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	सम्मन जारी 4861-82 12/12/18
14-01-19 (8) [illegible] (19) [illegible] (5) [illegible]	वकील वादी व स्वयं वादी उपस्थित। प्रति-सं. 5, 8 व 19 स्वयं उपस्थित। वादी की ओर से प्रा.पत्र वास्ते विड्रो करने वाद व प्रा.पत्र दी. अर्ज हेतु प्रस्तुत हुआ। वादी ने कथन किए कि प्रकरण में वर्णित भूमियों पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य समाज के मोतबीर लोगों की समझाइश से आपस में बराबर-बराबर बंटवारा बाबत राजीनामा हो गया है तथा अब किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रहा है, इस कारण अपने वाद एवं प्रार्थना-पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वाद एवं प्रा.पत्र को आज ही विड्रो करने का निवेदन किया। प्रार्थना-पत्र उपस्थित वादी व प्रतिवादीगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। वाद समझने, वाद विड्रो बाबत सहमति ज़ाहिर की। उक्त आशय के हस्ताक्षर वादी व उपस्थित प्रतिवादीगण से करवाए गए। वादी की पहचान उनके वकील [illegible] ने अंकित की। प्रार्थना-पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रा.पत्र स्वीकार योग्य होने से लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (सुरेश चौधरी) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	[illegible] Sd/- Identified [illegible] Sd/- Adv.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official